कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष : 0755–2674248, 2674318 फैक्स : 0755–2766315 E-mail pccfwl@.gov.in

क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2021 / F-126 / 3254 भोपाल, दिनांक 12-4-2021

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व म.प्र.
संचालक, वन विहार / माधव राष्ट्रीय उद्यान,
वनमंडलाधिकारी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी / नौरादेही अभयारण्य

विषयः– कोविड–19 से उपजी परिस्थितियों के कारण पर्यटकों के सफारी के लिये उपस्थित नहीं होने पर रिफंड के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. / व.प्रा. / 2021 / एफ 126 / 3195 दिनांक 08.04.2021

–0–

विषयांकित में लेख है कि कोविड–19 की वर्तमान परिस्थितियों के कारण मध्यप्रदेश राज्य द्वारा समीपवर्ती राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों पर विभिन्न प्रतिबंध / नियमन लागू किये गये हैं। इसी प्रकार प्रदेश में भी कई शहरों में लॉकडाउन है एवं आवागमन प्रतिबंधित है। इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. वे पर्यटक जिन्होंने म.प्र. के टाइगर रिजर्व्स एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2021 से पर्यटन हेतु ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र बुक किये थे किन्तु इन प्रतिबंधों के कारण वे अपने अनुज्ञा पत्रों का उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे पर्यटकों द्वारा यदि अनुज्ञा पत्रों के उपयोग न हो पाने की स्थिति में अनुज्ञा पत्र शुल्क वापसी का अनुरोध किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए पूर्ण शुल्क वापसी केवल पोर्टल फीस काटकर की जावे।
2. यह प्रावधान ट्रेवल एजेंट आदि के द्वारा बुक किये गये अनुज्ञा पत्रों पर भी लागू होगा।
3. वे पर्यटक जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 के बाद अपने अनुज्ञा पत्रों को स्वयं निरस्त कर लिया है तथा प्रचलित नियमों के अनुरूप जिन्हें कैंसिलेशन फीस काटकर राशि एमपी ऑनलाइन द्वारा लौटा दी गई है अथवा लौटाई जा रही है, उन्हें भी 1 अप्रैल 2021 के बाद की सफारी अवधि हेतु उक्त राशि पोर्टल फीस काटकर पूर्णतः लौटा दी जाएगी।
4. पर्यटकों द्वारा अनुरोध उपरांत क्षेत्र संचालक / संचालक ऐसे समस्त अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करते हुए एमपी ऑनलाइन को अनुज्ञा पत्रों के क्रमांक के साथ लेख करेंगे तथा राशि लौटाने की कार्यवाही एमपी ऑनलाइन द्वारा की जाएगी।
5. किन्हीं दिवसों में यदि पर्यटन पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया जाए तो क्षेत्र संचालक / संचालक एमपीऑनलाइन को अवगत कराएंगे एवं उस दिवस हेतु बुक किये गये समस्त अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करते हुए पोर्टल फीस काटकर राशि संबंधित को वापस की जावेगी।

निरंतर .....2 /

6. उपरोक्त प्रावधान 01 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक की तिथियों के अनुज्ञा पत्रों पर ही लागू होंगे।

दिनांक 30 जून 2021 के उपरांत इस प्रकार से पर्यटकों / होटल / ट्रेवल एजेंट के द्वारा प्राप्त कुल अनुरोध, निरस्त अनुज्ञा पत्रों की संख्या एवं वापस की गयी राशि की जानकारी का गोशवारा बनाकर इस कार्यालय को अवगत कराएं।

12/04/2021
(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2021 / F-126 / 3255 भोपाल, दिनांक 12-4-2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ, भोपाल म.प्र. सूचनार्थ प्रेषित।
2. शालीन विर्मानी, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, एम.पी. ऑनलाईन, चतुर्थ तल, डी. बी. मॉल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। कृपया वेब पोर्टल पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित करते हुए उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल